इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 108] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 मार्च 2011—फाल्गुन 26, शक 1932

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2011

क्र. 7989 वि.स.-विधान-2011.— मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन में भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 10 सन् 2011) जो विधान सभा में 17 मार्च 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०११

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निदिष्ट है) को, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

अनुसूची १-क का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क में,—

(एक) अनुच्छेद ५ में, खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(घ) यदि वह ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा भूमि के विकास या उस पर भवन के निर्माण से संबंधित है. करार में यथा वर्णित प्रस्तावित निर्माण या विकास के प्राक्कलित व्यय के बराबर बाजार मूल्य का तीन प्रतिशत.'';

(दो) अनुच्छेद २२ में, कालम २ में, परन्तुक में, खण्ड (छ) का लोप किया जाए;

(तीन) अनुच्छेद ४५ में, खण्ड (घ) में, उपखण्ड (एक) के सामने, कालम (२) में, शब्द, ''एक सौ रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''एक हजार रुपए'' स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष २०११-१२ के लिए बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि राज्य सरकार ने अनुच्छेद ५ (घ) के अधीन स्थावर भू-सम्पत्ति कारबार में प्रयुक्त विकास करारों पर तथा अनुच्छेद ४५ (घ) (एक) के अधीन एक वर्ष की कालावधि के भीतर किसी अभिकर्ता को स्थावर सम्पत्ति का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत करने के मुख्तारनामा पर स्टाम्प शुल्क की दर में वृद्धि करने का विनिश्चय किया है और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) की अनुसूची १-क के अनुच्छेद २२ के अधीन पुरुषों के साथ ही स्त्रियों के पक्ष में हस्तांतरण पत्र पर स्टाम्प शुल्क समान दर से उद्गृहीत की जाए.

२. अतएव, यह प्रस्तावित है कि मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ की अनुसूची १-क में यथोचित संशोधन किया जाए.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख १० मार्च, २०११

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड १ (२) द्वारा अधिनियम को प्रभावशील करने की तिथि अधिसूचित किए जाने संबंधी विधायनी शक्ति राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की गई है. उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 111] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च 2011—फाल्गुन 27, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2011

क्र. 1206-103-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 10 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 10 OF 2011

THE INDIAN STAMP (MADHYA PRADESH AMENDMENT) BILL, 2011

A Bill further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Amendment of Central Act No. 2 of 1899 in its application to the State of Madhya pradesh.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) (hereinafter referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

Amedment fo Schedule I-A.

3. In Schedule 1-A to the principal Act,—

(i) in Article 5, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

"(d)	If relating to the development of land or construction of a building on a land by a person other than the owner or lessee of such land.	Three percent on the market value equal to the Estimated cost of the proposed construction or development as mentioned in the agreement.";

(ii) in Article 22, in column (2), in the proviso, clause (g) shall be omitted;

(iii) in Article 45, in clause (d), against sub-clause (i), in column (2), for the words "One hundred rupees", the words "One thousanad rupees" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Finance Minister while presenting the Budget for the year 2011-12 announced in his budget speech that the State Government has decided to enhance the rate of stamp duty on development agreements used in real estate business under Article 5(d) and on power of attorney authorizing the agent to sell immovable property within a period of one year under Article 45(d)(i) and to levy a uniform rate of stamp duty on conveyances in favour of males as well as females under Article 22 of Schedule I-A of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899).

2. It is, therefore, proposed to make the suitable amendment in Schedule I-A of the Indian Stamp Act, 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

3. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated, the 10th March, 2011.

RAGHAV JI
Member-in-Charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.